

प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

04 अगस्त, 2025

राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
दिल्ली विधान सभा में प्रस्तुत

वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन सं. 1) आज दिल्ली विधान सभा के समक्ष रखा गया।

यह प्रतिवेदन वित्त, बजट प्रबंधन और लेखाओं की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य विषयों का विहंगावलोकन प्रदान करता है। यह प्रतिवेदन प्रमुख आंकड़ों और पहलुओं के आशुचित्र के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजट लक्ष्य के प्रति निष्पादन, राजस्व और व्यय अनुमान, विचलनों के कारण और उनके प्रभाव के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

विहंगावलोकन:

- पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (वर्तमान मूल्य पर) 8.79 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ 2019-20 के ₹ 7.93 लाख करोड़ से 2023-24 में ₹ 11.08 लाख करोड़ तक बढ़ा। 2023-24 में स.रा.घ.उ. में पिछले वर्ष 2022-23 से 9.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 1.1.1/पृष्ठ 1)

- राज्य का बजट परिव्यय 2019-20 के ₹ 64,180.68 करोड़ से 7.14 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से बढ़कर 2023-24 में ₹ 81,918.23 करोड़ हो गया।

(पैराग्राफ 3.1.1/पृष्ठ 54)

- राजस्व प्राप्तियों में 9.42 प्रतिशत की कमी आई और इसलिए स.रा.घ.उ. पर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022-23 के 6.18 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 5.13 प्रतिशत हो गया। राज्य के स्वयं कर राजस्व में 13.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(पैराग्राफ 2.3.2.1/पृष्ठ 17)

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) 2022-23 के ₹ 59,395 करोड़ से 2.42 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में ₹ 60,830 करोड़ हो गया। इसमें, राजस्व व्यय में 2022-23 से 4.33 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

(पैराग्राफ 2.4.1 एवं 2.4.2/पृष्ठ 29-31)

- राजस्व अधिशेष 2022-23 की तुलना में 55.30 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए ₹ 14,457 करोड़ से घटकर ₹ 6,462 करोड़ हो गया, जबकि 2022-23 में ₹ 4,566 करोड़ के राजकोषीय अधिशेष के प्रति 2023-24 में ₹ 3,934 करोड़ का राजकोषीय घाटा रहा। इस प्रकार 186.16 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

(पैराग्राफ 1.4/पृष्ठ 11)

प्राप्ति-व्यय बेमेल

- प्राप्ति और व्यय के बीच निरंतर बेमेल बढ़ते हुए राजकोषीय तनाव की ओर इंगित करता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं जैसे राज्य का स्वयं कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखा व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (परिसंपत्ति सृजन, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) सम्मिलित हैं।
- 2019-20 से 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियां ₹ 47,136 करोड़ से बढ़कर ₹ 56,798 करोड़ हो गईं, जबकि पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 5,588 करोड़ से घटकर ₹ 98 करोड़ रह गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2019-20 के 20.10 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.68 प्रतिशत हो गया।

(पैराग्राफ 2.3.2.1/पृष्ठ 17)

- राज्य सरकार को इस वर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के लिए केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹ 955.34 करोड़ प्राप्त हुए।

(पैराग्राफ 2.3.2.3/पृष्ठ 23)

- सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछली बाध्यताओं के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप राज्य की अवसंरचना एवं सेवा नेटवर्क में कोई परिवर्धन नहीं होता है। 2019-20 और 2023-24 के बीच राजस्व व्यय ₹ 39,637 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 5.00 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 50,336 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 4.54 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान इसने लगातार 6.51 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि करते हुए कुल व्यय के 81 प्रतिशत (2021-22) से 83 प्रतिशत (2023-24) तक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया।

(पैराग्राफ 2.4.2/पृष्ठ 31)

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

- राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष/घाटा होता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का राजस्व अधिशेष 2022-23 के ₹ 14,457 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ हो गया, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 55.30 प्रतिशत की कमी।

(पैराग्राफ 1.4/पृष्ठ 11)

- केंद्र सरकार द्वारा ₹ 2,023 करोड़ की पेंशन संबंधी देयताओं और दिल्ली पुलिस पर ₹ 11,123 करोड़ के व्यय को वहन किए जाने के कारण, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार 2023-24 में ₹ 6,462 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज कर सकी, जो कि ₹ 6,684 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल जाएगा, यदि उपर्युक्त दोनों देयताओं को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता।

(पैराग्राफ 1.3.1/पृष्ठ 9)

- चालू वर्ष के दौरान, पूंजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में कुल मिलाकर 15 प्रतिशत की कमी आई। महत्वपूर्ण शीर्षों के अंदर यह कमी तीव्र थी जैसे चिकित्सा और जन स्वास्थ्य में 49.87 प्रतिशत, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति में 42.19 प्रतिशत, लोक निर्माण कार्य में 39.70 प्रतिशत और शहरी विकास में 36.36 प्रतिशत।

(पैराग्राफ 2.4.3 एवं 2.4.3.1/पृष्ठ 38)

- राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्तियों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय अधिशेष/घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019-20 के ₹ 416 करोड़ (स.रा.घ.उ. का (-) 0.05 प्रतिशत) से बढ़कर 2023-24 में ₹ 3,934 करोड़ (स.रा.घ.उ. का (-) 0.36 प्रतिशत) हो गया।

(पैराग्राफ 1.4/पृष्ठ 11)

- राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर पहला भार होता है और इसमें ब्याज का भुगतान, वेतन और मज़दूरी तथा पेंशन पर होने वाला व्यय शामिल है। 2019-20 से 2023-24 के दौरान ब्याज का भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का लगभग 36 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 6.57 प्रतिशत की औसत दर से, अर्थात् 2019-20 के ₹ 13,825.47 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 18,116.50 करोड़ हो गया।

(पैराग्राफ 2.4.2.2/पृष्ठ 33)

- 2019-20 (₹ 11,904.80 करोड़) से 2023-24 (₹ 13,997.20 करोड़) की अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय व्यय की औसत वृद्धि 4.43 प्रतिशत थी। तथापि, अपरिवर्तनीय व्यय 2022-23 के ₹ 14,667.45 करोड़ से घटकर 2023-24 में ₹ 13,997.20 करोड़ हो गया, जो 4.57 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 2.4.2.2/पृष्ठ 33)

- कुल मिलाकर, 2023-24 में प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय ₹ 32,113.70 करोड़ रहा जो राजस्व व्यय का 63.80 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय की वृद्धि की प्रवृत्ति के कारण सरकार के पास प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों और पूंजी निर्माण के लिए कम लचीलापन रह जाता है।

(पैराग्राफ 2.4.2.2/पृष्ठ 33)

- सब्सिडी गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा है। गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत सब्सिडी की बढ़ती प्रवृत्ति है, जो 2019-2020 के ₹ 3,593 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹ 4,840 करोड़ हो गई, अर्थात् 2019-20 के कुल राजस्व व्यय के 9.06 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 9.62 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में बिजली सब्सिडी का हिस्सा महत्वपूर्ण रहा, जो 66.96 प्रतिशत (2019-20) से लेकर 70.39 प्रतिशत (2020-21) तक रहा।

(पैराग्राफ 2.4.2.3/पृष्ठ 35)

राजकोषीय स्थिरता

- राजकोषीय स्थिरता की जांच घाटे, ऋण और देयताओं का स्तर, बजट इतर उधार के कारण प्रतिबद्धताओं, गारंटी, सब्सिडी आदि जैसे वृहद-राजकोषीय मापदंडों के संदर्भ में की जाती है। जहां तक राजस्व और व्यय के बेमेल का संबंध है, महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक प्रतिबद्ध और अपरिवर्तनीय व्यय है, जिसमें वेतन और मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा अन्य अपरिवर्तनीय व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधि में अंतरण, स्थानीय निकायों को अंतरण आदि सम्मिलित हैं।

राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

- ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, 2019-20 से 2023-24 के बीच रा.रा.क्षे.दि.स. का बकाया सार्वजनिक ऋण प्रतिवर्ष औसतन 1.98 प्रतिशत की दर से बढ़ा है।

(पैराग्राफ 2.6/पृष्ठ 46)

- रा.रा.क्षे.दि.स. का सार्वजनिक ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 2019-20 के 4.38 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 3.19 प्रतिशत हो गया है, जो इंगित करता है कि ऋण स्थिरीकरण निकट भविष्य में संभव हो सकता है। वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान, यद्यपि डोमर गैप (जी -आर के रूप में अभिव्यक्त) धनात्मक था, परंतु 2022-23 को छोड़कर इस अवधि के दौरान प्राथमिक शेष घाटे में था।

(पैराग्राफ 2.6/पृष्ठ 46)

- इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का संपूर्ण अनुपात वर्ष 2022-23 में उधारों की चुकौती के लिए उपयोग किया गया, जबकि 2019-20 से 2021-22 के दौरान चुकौती 34 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक रही। शून्य ऋण प्राप्तियों के कारण 2023-24 के दौरान उक्त अनुपात अपरिभाषित है।

(पैराग्राफ 2.6/पृष्ठ 46)

बजट निष्पादन

- वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि आठ मामलों में ₹ 1,625.43 करोड़ का अनुपूरक अनुदान, उच्च/अतिरिक्त व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त की गई थी। तथापि, अंतिम व्यय मूल अनुदान से भी कम था, जिससे अनुपूरक अनुदान का इच्छित उद्देश्य विफल हो गया।

(पैराग्राफ 3.3.1/पृष्ठ 58)

- वर्ष 2023-24 के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि छह अनुदानों में फैले 23 उप-शीर्षों में ₹ 612.16 करोड़ का अनावश्यक पुनर्विनियोग किया गया था, क्योंकि विभाग अपने मौजूदा अनुदानों (मूल + अनुपूरक) का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए थे और ₹ 1,227.53 करोड़ की संचयी बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 15 करोड़ से अधिक) हुई थी, जो अपर्याप्त बजट प्रक्रिया का संकेत था।

(पैराग्राफ 3.3.2/पृष्ठ 58)

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता

लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में उन मद्दों, लेन-देन और घटनाओं को शामिल किया गया है जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमियों और उन लेखा अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं जो वास्तविक व्यय का साक्ष्य देते हैं। यह लेखाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों को भी उजागर करता है जैसे कि सरकारी खातों के बाहर धन की पार्किंग, देयताओं का गैर-या अल्प-भुगतान और लेनदेन का गलत वर्गीकरण और डेटा अंतराल।

पीडी खातों का संचालन

- 31 मार्च 2024 तक 11 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 66.21 करोड़ का अंतिम शेष था।

(पैराग्राफ 4.3/पृष्ठ 79)

एकल नोडल एजेंसी को निधि

- भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन और धन उपलब्ध कराने के लिए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) की पद्धति शुरू की है। भारत सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा सरकारी खाते के बाहर स्थित एसएनए के बैंक खाते में अंतरित किया जाता है।
- पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2023-24 के दौरान ₹ 2,009.81 करोड़ (भारत सरकार का हिस्सा ₹ 947.20 करोड़ और राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 1,062.61 करोड़) अंतरित किया गया।
- पीएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹ 842.21 करोड़ बिना खर्च किए पड़े थे।

(पैराग्राफ 2.3.2.5/पृष्ठ 27)

सशर्त अनुदान के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र

- निर्धारित समयावधि के अंदर सशर्त अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 3,760.84 करोड़ के 1,313 बकाया उ.प्र. लंबित थे।

(पैराग्राफ 4.1/पृष्ठ 71)

ए.सी. बिल के प्रति डी.सी. बिल

इसी प्रकार, संक्षिप्त आकस्मिक व्यय (ए.सी.) बिलों के माध्यम से निकाली गई अग्रिम राशि के प्रति विस्तृत आकस्मिक व्यय (डी.सी.) बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 346.82 करोड़ के 4,466 ए.सी. बिलों के प्रति डी.सी. बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 266.43 करोड़ के 3,988 ए.सी. बिल 2022-23 तक की अवधि से संबंधित थे।

(पैराग्राफ 4.2/पृष्ठ 75)

सिफारिशें

हमने सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें भी दी हैं:

1. सरकार को अधिक बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय करने की क्षमता के सही आकलन के साथ यथार्थवादी बजट अनुमान तैयार करना चाहिए।
2. सरकार को अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और अनावश्यक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।
3. सरकार बजटीय अनुमान तैयार करते समय राज्य में प्रमुख नीतिगत निर्णयों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए कार्यनीति तैयार करने पर विचार कर सकती है।
4. सरकार को वर्ष के अंत में व्यय की अधिकता से बचने के लिए आवधिक निगरानी के माध्यम से व्यय के लिए निर्धारित तिमाही लक्ष्यों का पालन करना चाहिए और समय पर अभ्यर्पण के माध्यम से बचत का उचित उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।